न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 45 / 2021 तारीख रजू 19.07.2021

प्रकाशी पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी गणगौर मोहल्ला तह0 खण्डार

..........निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. पप्पू पुत्र मुकन्दा जाति माली निवासी गणगौर मोहल्ला खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री मुकेश तेहरिया एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद जाट सैनी एडवाकेट

निर्णय दिनांक 30-05-2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 24 / 05–06–2020 आदेश दिनांक 02–07–2021 मौके की स्थिति देखे बिना तथा आपत्ति नोटिस जारी किये बिना मनमर्जी से ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा पट्टा जारी किया जाकर निगरानीगुजार के मकान के गेट के आगे अवैध रूप से निर्णय पारित कर पट्टा जारी किया है। यह है कि अपीलान्ट के मकान के बाद 5 फीट चौडा नाला है जिसमें नहर का पानी बहता है उसके बाद 5–7 फीट जमीन खाली पडी है और सी.सी रोड बना हुआ है। उसके बाद प्रत्यर्थी का रोड के बाद मकान है। अप्रार्थी के मकान एवं प्रत्यर्थी के मकान के बीच की खाली भूमि आम रास्ता पर अवैध रूप से पटटा जारी कर दिया गया है। यह है कि प्रार्थी के मकान के सामने किसी भी सूरत में अपीलार्थी को सुने बिना प्रत्यर्थी के हक में अधीनस्थ न्यायालय को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्याायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 08.01.2021 की पालना में जारी पट्टा दिनांक 02.07.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:41 IST
Reason: SelfAttested

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में [illegible] की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस तर्क कि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत खण्[illegible] आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2021 की पालना में जारी पट्टा दिनांक 02.07.2021 को निरस्त करान बाबत निगरानी [illegible] की गयी है। प्रार्थी वकील द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया [illegible]या कि निगरानीकर्त्ता के मकान के बाहर 5 फीट चौडा नाला है जिसमें नहर का पानी बहता है उसके बाद 5–7 फीट जमीन खाली पडी है और सी.सी रोड बना हुआ है। उसके बाद उनके पक्षकार का रोड पर मकान है। वकील निगरानी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गुजार ने पुनः तर्क किया की रोड की जमीन को ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी से साज कर नियम विरूद्ध अप्रार्थी के हित में पट्टा जारी कर दिया गया जो कि निरस्तनीय है। इससे अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण करने पर प्रार्थी का मकान का रास्ता बंद होने से अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को पहुंचने की संभावना है। अंत में वकील प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से जारी पट्टा संख्या 24 जारी दिनांक 02–07–2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी वकील द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि स्वयं निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी में तथ्य अंकित किये गये हैं कि अप्रार्थी के मकान के बाद 5 फिट चौडा नाला जिसमें नहर का पानी बहता है तथा उसके बाद 5–7 फीट जमीन खाली पडी है और सी.सी रोड बना हुआ है उसके बाद प्रत्यर्थी का रोड के बाद मकान है । अतः प्रार्थी को दिये गये भूखंड के पट्टे से प्रार्थी के मकान का रास्ता बन्द होने जैसा कोई बिन्दू साबित नहीं होता है। पुनः वकील अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में विधिवत नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था । तथा प्रार्थी का जारी पट्टे के सीमांकन में उत्तर दिशा की ओर स्पष्ट सीसी रोड अंकित किया गया है जिससे यह साबित होता है कि उसके पक्षकार को जारी पट्टे में किसी तरह की रोड की भूमि काम में नहीं ली गयी है। अपनी बहस के अंत में वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज की जाकर उसके पक्षकार को राहत प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पंचायत द्वारा अवैध रूप से रास्ते की जमीन पर पट्टा जारी करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर भी यह पाया जाता है कि पट्टाशुदा भूमि के सीमांकन में किसी तरह की कोई रास्ते की भूमि का अंकन नहीं पाया जाता है। साथ ही परिमाप नक्शे में भी पट्टा शुदा भूमि किसी तरह के रास्ते की भूमि पर होना नहीं पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खण्डार के आदेश दिनांक 08.01.2021 के आधार पर जारी पट्टा क्रमांक 24 जारी दिनांक 02.07.2021 में किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने कारण निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-05-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर